न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

अपील संख्या 26 / 2014

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 लालाराम आयु 45 वर्ष करीब पुत्र स्व0 सुरजाराम जाति जाट निवासी ग्राम तिडोकी बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

1 छोटी देवी पत्नी सुखाराम कस्वा कथित पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी ग्राम तिडोकी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान।

2 पटवारी हल्का ग्राम मंगलुणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

3 उप पंजीयक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

4 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर बहैसियत भू–धारक राजस्थान सरकार

5 तीजू देवी पत्नी रामकरण पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी ग्राम चाचीवाद बड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिकी दिनांकित 02.05.11
वाद शीर्षकीय छोटी देवी बनाम श्रीमती उमली आदि
मु.नं. 179 / 09 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उपस्थित

1. श्री वसीम खां अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः–17.09.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा वाद संख्या 179/09 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.2011 के विरूद्व प्रस्तुत की है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 333 रकबा 11.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 340 रकबा 0.08 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 456 रकबा 9.43 हैक्टेयर वाके ग्राम तिडोकी बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ के सम्बंध में इस आश्य का प्रस्तुत किया गया कि वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है। उक्त आराजीयात के 2/3 हिस्से का एकाकी काश्तकार वादीया का दादा स्व. गंगाराम रहा था, उनकी मृत्यु के बाद उनकी वैध उत्तराधिकारी काश्तकार चली आ रही है। वादीया भोलीभाली पर्दाशीन महिला है। प्रतिवादी सं. 1 चालाक किस्म की है, उसने गंगाराम की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण संख्या 143 प्रतिवादीया संख्या 1 ने अकेले अपने नाम करवा लिया, जिसकी वादीया को कोई जानकारी नही है ना ही नामान्तरकरण तस्दीक करने वाले प्राधिकारी ने वादीया को सूचना एवं सुनवाई को कोई अवसर दिया। उक्त नामान्तरकरण विधि एवं कानून विरूद्व होने के कारण निरस्तनीय है। वादीया के पिता स्व. सुरजाराम की मृत्यु वादीया के दादा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

स्व0 गंगाराम के जीवनकाल मे ही हो गयी थी एंव सुरजाराम की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 उमली शोभाराम के नाते चली गई। इस कारण स्व0 सुरजाराम के हक हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक हिस्सा नही रहा। वादीया स्व. सुरजाराम की एक मात्र उत्तराधिकारीणी होने के कारण वादीया उनके 1/6 पैत्रिक हक हिस्से की हक अधिकारीणी हुई। इसलिये वादीया को वादग्रस्त आराजी के 1/6 हक हिस्से की खातेदारी काश्तकार उदघोषित किया जावे। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वादीनी द्वारा अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना वाद प्रस्तुत कर एक पक्षीय रूप से साजिसी डिक्री प्राप्त की गई है। अपीलांट काबिज काश्तकार को आवश्यक पक्षकार होते हुये भी पक्षकार नही बनाकर विचाराधीन निर्णय एकतरफा पारित किया गया है। विचारण न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम में चल रही थी उसके पश्चात सीधे ही बहस सुनकर उसी दिन वातवादी डिक्री कर दिया गया। जो विधि विरूद्व है अपील अपीलांट धारा 5 व धारा 96 का आवेदन स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये एवं प्रकरण रिमाण्ड किया जाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है विचारण न्यायालय में छोटी देवी ने सुरजाराम की जायन्दा पुत्री होने के आधार पर, सुरजा की वारिस होने के आधार पर हक हिस्से की मांग की है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे है विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित किया है जिसमें अपीलांट के हितो के विरूद्व कोई निर्णय पारित नही किया गया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम विचारण न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नही पाते है फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

17.9.18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर